उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, पर दिनांक 28-8-1980 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1980 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | श्री बी0जे0ओदायजी | | अध्यक्ष |
| (2) | श्री दयानन्द व्यास | सदस्य, विधान परिषद | सदस्य |
| (3) | श्री जे0पी0दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक | सदस्य |
| (4) | श्री प्रोफेसर दिनेश मोहन | निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रूड़की | सदस्य |
| (5) | श्री जवाहर लाल शुक्ल | अनुसचिव, स्वायत्त शासन विभाग | सदस्य |
| (6) | श्री डी0बी0श्रीवास्तव | उप सचिव, वित्त | सदस्य |
| (7) | श्री कमल पाण्डे | आवास आयुक्त | सदस्य |

बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

| क्र0सं0 | विषय | संकल्प संख्या | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | दिनांक 7-6-80 को परिषद मुख्यालय पर हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। | IV/(1)/80 | बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। |
| (2) | परिषद की बैठक दिनांक 7-6-80 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या। | IV/(2)/80 | परिषद द्वारा दिनांक 7-6-80 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निदेश दिये गये:-<br>1- अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की सेवायें शीघ्र प्राप्त करने के लिये राज्य विद्युत परिषद/सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों से ही सम्पर्क स्थापित कर अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) की यथाशीघ्र नियुक्ति करायी जाय।<br>2- कोयले की उपलब्धता के लिये भारत सरकार को जो पत्र लिखा गया है उसमें आगे सम्पर्क स्थापित कर पहल की जाय।<br>3- अलीगढ़ की नई योजनाओं के लिये भूमि अध्याप्त करने के लिये परिषद अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत नये प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जायें।<br>4- मुख्यालय पर वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में शासन को जो पत्र भेजा गया है उसका संदर्भ दिया जाय जिससे शासन स्तर पर उसका निस्तारण कराया जा सके। अनुपालन आख्या में पत्रांक एवं तिथि से भी अवगत कराया जाय। |

क0प0उ0

5- सहायक निदेशक (जन सम्पर्क एवं प्रचार के पद के उच्चीकरण के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत हो।

6- आवास एवं विकास परिषद की देहरादून रोड, रुड़की में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना में समाविष्ट खसरा नं०-1171 से 1178 तक को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में उपसमिति की रिपोर्ट परिषद की आगामी बैठक में अवश्य प्रस्तुत की जाय

भूतपूर्व परिषद सदस्य श्री टी०एन० सिंह के स्थान पर श्री दयानन्द व्यास, परिषद सदस्य को इस उपसमिति में मनोनीत किया गया।

7- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में शासन एवं राजस्व परिषद से पुन: अनुरोध किया जाय तथा अनुपालन आख्या में पत्रांक एवं तिथि से भी अवगत कराया जाय।

8- परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को किराया पद्धति पर परिषद की योजनाओं में भवन देने के सम्बन्ध में परिषद की अगली बैठक में रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत की जाय।

9- प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों तथा कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में शासन/सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो से पुन: अनुरोध किया जाय। अनुपालन आख्या में पत्रांक एवं तिथि से भी अवगत कराया जाय।

10- नगर नियोजन एवं वास्तुकला अनुभाग के पुनर्गठन पर सृजित पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जायें।

11- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में गठित कोष्ठ ने क्या कार्यवाही की तथा उसके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जाय। इस सम्बन्ध में सी०बी०आर०आई०, रुड़की की सहायता भी प्राप्त की जाय।

12- क्वालिटी नियंत्रण कोष्ठ के सम्बन्ध में प्रो०दिनेश मोहन, परिषद सदस्य द्वारा दी गई राय के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाय।

13- प्रो०दिनेश मोहन के आग्रह पर परिषद द्वारा निर्माण सामग्री के उत्पादन पर पुनर्विचार किया गया तथा उनकी रायनुसार यह कार्य परिषद के अपने साधनों से व्यवसाय करना ठीक न होगा क्योंकि भय है कि परिषद को क्षति पहुंच सकती है। अत: इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया। परन्तु इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि परिषद की आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण सामग्री का विभिन्न उद्योगों को Private Entrepre-nevers द्वारा चलाया जाय और आयुक्त एवं निदेशक उद्योग तथा सचिव उद्योग विभाग से परामर्श कर, ऐसे उद्योगों की स्थापना कर

क०प०उ०

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | कार्यवाही की जाय।<br><br>14- राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि अध्याप्त करने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। |
| (3) रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया प्रदेशन पत्र सम्बन्धित प्रदेशन गृहीता को प्राप्त न होने पर परिषद द्वारा प्रक्रिया अपनाने के सम्बन्ध में। | IV(3)/80 | इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुये परिषद ने निर्देश दिये कि ऐसे मामलों में प्रभावित व्यक्तियों से शपथ पत्र लेकर गुण-अवगुण के आधार पर मामले की समीक्षा करते हुये आवास आयुक्त स्वविवेकानुसार स्वयं निर्णय करें। |
| (4) आवास एवं विकास परिषद की भूमियों तथा अन्य सम्पत्तियों पर अनाधिकृत निर्माणों तथा कब्जों के सम्बन्ध में। | IV(4)/80 | परिषद ने इस पर विचार किया तथा इसकी गंभीरता को स्वीकार करते हुये अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि अतिक्रमणों को हटाने के लिये उच्च स्तर पर शासन में एक बैठक आयोजित की जाय। बैठक के लिये विस्तृत पृष्ठभूमि अंकित करते हुए पेपर तैयार कराया जाय। |
| (5) ग्राम बसौली की गाटा सं0-294 के बारे में श्री बी0पी0बलैस्ट द्वारा परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध धारा-447 आई0पी0एस0के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमों के बारे में। | IV/(5)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। |
| (6) मुरादाबादमें परिषद द्वारा निर्मित 24 विभिन्न आय वर्ग के भवनों में पुलिस तथा पी0ए0सी0 तथा अलीगढ़ में 141 भवनों में सी0आर0पी0द्वारा अनाधिकृत अध्यासन के सम्बन्ध में। | IV/(6)/80 | 1- इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर हुई बैठक को कार्यवृत्त तुरन्त प्राप्त किया जाय।<br><br>2- आवास एवं गृह विभाग के माध्यम से इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस से अनुरोध किया जाय कि वे 'पुलिस बेनोवोलेन्ट फण्ड' में से पुलिस तथा पी0ए0सी0 द्वारा कब्जा किये गये परिषद के भवनों का किराया परिषद में तुरन्त जमा कर दें।<br><br>3- डाइरेक्टर जनरल, सी0आर0पी0, गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखे गये पत्र का उत्तर प्राप्त हो जाने पर इस मामले में पुनः कार्यवाही की जाय।<br><br>4- इस मामले में तत्परतापूर्वक कार्यवाही वांछनीय है। |
| (7) परिषद में ज्येष्ठ वित्त अधिकारी के वेतनक्रम 800-1450 के पद का उच्चीकरण। | IV/(7)/80 | ज्येष्ठ वित्त अधिकारी के पद को वेतनक्रम 1600-2000 में उच्चीकृत करने के लिये शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया जाय जिसमें निम्नलिखित उपस्थित हों:—<br><br>1- आवास सचिव, 2- वित्त सचिव<br>3- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो।<br>4- आवास आयुक्त।<br><br>उस बैठक में यह बताया जाय कि हडको के अध्यक्ष ने आवास मंत्री जी को यह बताया था कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में लेखा अच्छी स्थिति में नहीं है और विशेष स्वीकृति से इस पद के उच्चीकरण प्राप्त की जाय। |

क्र0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (8) | परिषद के भन निर्माण उपनियम) बिडंग वाईलाज़) की स्वीकृति सम्बन्ध में। | IV/(8)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। |
| (9) | सम्पत्ति प्रब विभाग के परिषद की जनाओं स्थित कार्यालयों में केन्द्रीकरण के फलस्वरूप उत स्थिति पर विचार। | IV/(9)/80 | कार्यान्वयन समिति जो कि परिषद की उपसमिति है, सम्पत्ति प्रबन्ध के कार्य के सम्बन्ध में गहन अध्ययन कर परिषद की अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। |
| (10) | परिषद मुय पर भ्रष्टाचार तथा अन्य ितों की जांच व प्रभावी कार्य के लिये विजिलेन्स सेल की था | IV/(10)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और निर्देश दिये कि अधीक्षण अभियन्ता स्तर के एक अधिकारी को जल निगम अथवा उत्तर प्रदेश शासन के सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाय। इस अधिकारी को प्रतिनियुक्ति भत्ता अथवा प्रतिनियुक्ति भत्ता न मिलने पर 200/= का विशेष वेतन प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। परिषद ने अधीक्षण अभियन्ता के साथ वेतनक्रम 300-500 में एक आशुलिपिक व एक कम्प्यूटर के पद की स्वीकृति प्रदान की। |
| (11) | मुख्यालय अतिरिक्त टेलीफोन अके पद के सृजन के सं | IV/(11)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया किन्तु आवास आयुक्त को अधिकृत किया कि वे आन्तरिक व्यवस्था के व्दारा इस पद की पूर्ति कर लें। |
| (12) | अति वर्षा परिषद व्दारा निरित भवनों की मरम्मत | IV/(12)/80 | इस प्रस्ताव पर विचार करते हुये परिषद ने निर्देश दिये कि आवंटन के बाद छः मास तक भवन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के विषय में परिषद व्दारा मरम्मत आदि की कार्यवाही की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि छः मास की अवधि वर्षा काल से पूर्व समाप्त हो गई हो तो पूरा वर्षाकाल व्यतीत होने तक छः मास की अवधि समझी जाय। इस संबंध में प्रत्येक स्तर पर कार्य करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश बनाकर उपलब्ध कराये जायं। |
| (13) | राजाजीपुरददीन हैदर केनों की भूमि को जड़ी लार्थ, आवंटन के में। | IV/(13)/80 | इस प्रस्ताव को परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की और निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में तुरन्त ही सेन्ट्रल इण्डियन मेडिकल प्लान्ट आर्गेनाइजेशन से भी सहमति प्राप्त कर ली जाय। |
| (14) | राजाजीपुर) योजना में एप्रोचेल पावर हाउस तथ भूमि के आदान के संबंध में। | IV/(14)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (15) | नीलामी प्रदेश आवास एवद की सम्पत्तिबंधी विनियम-1980 | IV/(15)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की और निर्देश दिये कि विनियमों का व्यापक प्रचार कराया जाय। |
| (16) | आवास पदुन रोड भूमि धान योजना र खसरा नं 8 तक की े के सम्बन्ध | IV/(16)/80 | भूतपूर्व परिषद सदस्य श्री टी०एन०सिंह के स्थान पर परिषद सदस्य श्री दयानन्द व्यास को इस समिति में सदस्य नामित किया और निर्देश दिये कि उपसमिति की बैठक की रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में अवश्य ही प्रस्तुत की जाय। |
| (17) | आगरा क्षीय योजना न सिंह व्दारा भवनों में क्त। | IV/(17)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृत प्रदान की। |
| (18) | माल में द्वितीय | IV/(18)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव को इस संशोधन |

क्र०प०उ०

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | के अन्तर्गत 21 गैराज के निर्माण के सम्बन्ध में। | | के साथ स्वीकार किया कि उपलब्ध भूमि पर 15 मीटर गैराज तथा शेष भूमि पर स्कूटर गैराज बनाये जायं। |
| (19) | मेरठ की गढ़रोड आवास योजना के अन्तर्गत न्याय विभाग व्दारा क्रय किये गये 8 मध्यम आय वर्ग के भवनों के मूल्य पर परिषद व्दारा लिये गये दण्ड-ब्याज को मुक्त किया जाना। | IV/(19)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (20) | राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में समाविष्ट सैय्यद फुर्खल्ल हसन आदि की भूमि/भवन को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में। | IV/(20)/80 | परिषद ने शासन व्दारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (21) | राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ के 19वें शासन ऋण के अन्तर्गत 192 अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में। | IV/(21)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (22) | बरेली पीलीभीत मार्ग योजना सं0-3 बरेली में 15 दुकानों का निर्माण कार्य। | IV/(22)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (23) | बेतिया हाता (दक्षिणी) योजना, गोरखपुर में श्री नागर दास सर्राफ को 1.9 एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में। | IV/(23)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (24) | हडको व्दारा वित्त पोषित तृतीय हडको कम्पोज़िट प्रोजेक्ट उन्नाव स्कीम नं0-1334-सी0 | IV/(24)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (25) | हडको व्दारा वित्त पोषित तृतीय कम्पोज़िट हाउसिंग स्कीम गोरखपुर (स्कीम नं0-1345) | IV/(25)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| (26) | भूमि अध्याप्ति एवं विकास कार्य तथा नगर विकास कार्य के अन्तर्गत शासन से 442.00 लाख रुपये का ऋण आवेदन। | IV/(26)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (27) | पौड़ी श्रीनगर मार्ग योजना सं0-1 पौड़ी का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(27)/80 | इस प्रस्ताव पर परिषद ने इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया कि विकास के सम्बन्ध में इसके प्राक्कलनों की पुनः जाँच की जाय। |
| (28) | भैलगांव (कंस मर्दनी) गृहस्थान योजना सं0-3 श्रीनगर (गढ़वाल) का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(28)/80 | इस प्रस्ताव पर परिषद ने इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की कि इसमें विकास के प्राक्कलनों की पुनः जाँच की जाय। |
| (29) | शाहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शाहाबाद जिला हरदोई का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(29)/80 | इस प्रस्ताव प<br>से स्वीकृति प्रद. |
| (30) | पुराना श्रीनगर गृहस्थान योजना संख्या-2 श्रीनगर (गढ़वाल) का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(30)/80 | इस प्रस्ताव पर परिष<br>से स्वीकृति प्रदान की। |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (31) | पौड़ी देव प्रयाग मोटर मार्ग पर गृहस्थान योजना सं0-2 पौड़ी गढ़वाल का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(31)/80 | इस प्रस्ताव का परिषद ने इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की कि भूमि विकास के प्राक्कलनों की पुनः जाँच की जाय। |
| (32) | प्रायरी लौज टेनिस भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 नैनीताल का धारा-28 के अन्तर्गत प्राक्कलन। | IV/(32)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| (33) | सितारगंज भूमि विकास गृहस्थान योजना सं0-1 | IV/(33)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| (34) | वृन्दावन भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(34)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| (35) | दुर्गा निवास टेनिस कोर्ट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 नैनीताल का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(35)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की कि इसमें विज्ञप्ति के पूर्व 'लैण्ड यूटीलाइजेशन' की क्या प्रतिशत होगी का परीक्षण कर लिया जाय। |
| (36) | प्रायरी काटेन भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-6, नैनीताल। | IV/(36)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। |
| (37) | भुदतयाना गृहस्थान योजना सं0-1 श्रीनगर (गढ़वाल) का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(37)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। |
| (38) | अर्ल्स कोर्ट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 नैनीताल। | IV/(38)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। |
| (39) | राम नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना का प्रस्ताव। | IV/(39)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (40) | भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना किच्छा (नैनीताल) | IV/(40)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (41) | हापुड़ गाजियाबाद मार्ग पर आवासीय योजना सं0-1 पिलखुवा का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(41)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (42) | हरिद्वार मार्ग गृहस्थान योजना-2 कोटद्वार का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(42)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (43) | नजीमाबाद मार्ग गृहस्थान योजना सं0-1, कोटद्वार का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(43)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। |
| (44) | बाँदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 बाँदा का धारा-28 का प्राक्कलन। | IV/(44)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। |
| (45) | भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (बड़ौत) जिला-मेरठ का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(45)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (46) | 38-41 प्राग नारायण रोड लखनऊ गृहस्थान योजना की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(46)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (47) | ग्रासमीर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-8 नैनीताल। | IV/(47)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। |
| (48) | निर्माण कार्य की समीक्षा (31 जुलाई 1980 तक) | IV/(48)/80 | 1- अध्याप्त की हुई भूमि का प्रगति पर परिषद ने असंतोष व्यक्त किया और संविक्षण किया कि भविष्य में परिषद व्दारा निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए भारी मात्रा में भूमि पर कब्ज़ा प्राप्त करने के प्रयास किये जायं।<br>2- निर्माण कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक या पाक्षिक समीक्षा की जाय जिससे कि भौतिक प्रगति पर कड़ी नज़र रखी जा सके।<br>3- निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिये परिषद की एक उपसमिति गठित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-<br>(1) श्री बी0जे0खोदायजी — अध्यक्ष<br>(2) प्रो0दिनेश मोहन — सदस्य<br>(3) श्री भगवती प्रसाद वर्मा — सदस्य<br>(4) आवास आयुक्त — सदस्य<br>यह समिति परिषद की बैठक के एक दिन पूर्व निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करेगी और अगले दिन सम्पूर्ण परिषद को उससे अवगत करायेगी। |
| (49) | भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 शामली का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(49)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (50) | महोबा चरखारी मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(50)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| (51) | हडको परियोजना के अन्तर्गत निर्माण किये जाने वाले दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवनों के स्पेसिफिकेशन के संबंध में। | IV/(51)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से यह आदेश दिये कि Specification वहीं रखे जायें जो प्रस्तावित है या इनके अनुरूप हों। यह निर्णय आवास आयुक्त ले सकते हैं कि क्या स्पेशिफिकेशन रखे जायें। |
| (52) | ऐक्समर भूमि विकास एवं गृहस्थान संख्या-9, नैनीताल। | IV/(52)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (53) | बहराइच खास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बहराइच का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(53)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (54) | अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 | IV/(54)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (55) | मेरठ रुड़की एवं सरकुलर रोड के मध्य योजना सं0-3 (राजकीय कृषि मार्ग), मुजफ्फरनगर। | IV/(55)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। |
| (56) | गदरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गदरपुर का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(56)/80 | इस प्रस्ताव पर परिषद ने इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान की कि विज्ञप्ति प्रकाशन के पूर्व प्राक्कलनों की पुन: जाँच कर ली जाये। |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (57) | उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद (परिषद तथा आवास आयुक्त द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधायन) परिषद नियम-1968 के अन्तर्गत परिषद के अधिकारों का जो अधिनियम की धारा-88 में दिये गये हैं। आवास आयुक्त को प्रतिनिधायन। | IV/(57)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| (58) | श्री के0किशोर आदि भूतपूर्व आवास आयुक्त को देहरादून की इन्दिरानगर आवास योजना में प्रदिष्ट उच्च आय वर्ग के भवन संख्या-134 के मूल्य में 10% की छूट दिया जाना। | IV/(58):/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव को विचारोउपरान्त स्वीकार नहीं किया। तथा यह निदेश दिये कि अन्य ऐसे मामलों में भी नियमों का अक्षरश: पालन किया जाये। |
| (59) | बदायूं भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(59)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (60) | खतौली मुजफ्फरनगर का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(60)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। |
| (61) | मैट्रोपोल होटल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-10 नैनीताल। | IV(61)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (62) | रामपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 पूरक का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(62)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। |
| (63) | राम सागर मिश्र नगर लखनऊ में 20वें शासन ऋण के अन्तर्गत 71 मध्यम आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में। | IV/(63)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। |
| (64) | बलरामपुर भूमि विकास गृहस्थान योजना-7 का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन। | IV/(64)/80 | परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| (65) | राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग के एम0ए0/75 टाईप के भवनों के प्राविधिक सम्परीक्षण के संबंध में टिप्पणी। | IV/(65)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्देश दिये कि इस प्रस्ताव के संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर अग्रिम कार्यवाही की जाय। |
| (66) | अत्याधिक वर्षा के कारण परिषद द्वारा लखनऊ जनपद में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बने भवनों के विषय में प्राप्त सामान्य शिकायतों के सम्बन्ध में। | IV/(66)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव का अवलोकन किया। |
| (67) | राजाजीपुरम योजना की स्ट्रीट लाइटिंग को नगर महापालिका को हस्तान्तरण करने के संबंध में। | IV/(67)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया तथा यह निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में अन्य मामलों में निर्धारित नार्मस् का पालन किया जाय। |
| (68) | लखनऊ स्थित राम सागर मिश्र कालोनी का रख-रखाव। | IV/(68)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्देश दिये कि सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के यहाँ एक बैठक का आयोजन किया जाय जिसमें निम्न-लिखित उपस्थित रहें:-<br>1- सचिव, आवास विभाग।<br>2- सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।<br>3- प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ।<br>4- आवास आयुक्त। |

[signature]

ह0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (69) | नगर नियोजन एवं वास्तुकला अनुभाग में वरिष्ठ नगर नियोजक एवं वास्तुविद् के पदनाम में परिवर्तन। | IV/(69)/80 | परिषद ने विचारोपरान्त वर्तमान वरिष्ठ नगर नियोजक एवं वास्तुविद् का पदनाम 'मुख्य वास्तुविद् नियोजक' (Chief Architect planner) में बदलने की अनुमति प्रदान की। इस नये पदनाम पर कोई विशेष वेतन देय नहीं होगा तथा पदधारी को पहले से चला आ रहा 'डिजाइन एलाउन्स' प्राप्त होता रहेगा। |
| (70) | सीमेन्ट के अभाव में वर्ष-1980-81 के निर्माण कार्यों के लक्ष्य का पुनरीक्षण। | IV/(70)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव का अवलोकन किया और निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में विस्तृत एवं गहन मानीटरिंग की आवश्यकता है। |
| (71) | 58 तथा 58-ए०प्राग नरायन रोड लखनऊ स्थित श्री के०सी०त्रेहन व अन्य की भूमि पर आवास योजना चलाने हेतु। | IV/(71)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव को अगली बैठक के लिये स्थगित कर दिया। |
| (72) | परिषद की लेखा प्रणाली में सुधार हेतु कन्सलटेन्ट की नियुक्ति। | IV/(72)/80 | परिषद ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |

पुष्टि की गई।

[signature] 25/X/80

अध्यक्ष

25.10.80